

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-व-15(32)आर.पी.ए./जन/ALL AMC/2024-25/ 4006

दिनांक:- 05.08.24

खुली बोली आमंत्रण सूचना

अकादमी परिसर में विभिन्न शाखाओं/अनुभागों में स्थापित ए.सी. के रखरखाव हेतु 1 वर्षीय दर कार्य दर संविदा की जानी है, जिसके लिए मोहरबन्द बोलियाँ आमन्त्रित की जाती हैं। बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान सरकार के www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट www.rpa.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं तथा इच्छुक निविदादाता द्वारा दिनांक 05.08.2024 से 14.08.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड कर दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं जिसके लिए निविदा फॉर्म शुल्क तथा बोली प्रतिभूती का डी.डी./बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। -

क्र. सं.	उपापन की विषयवस्तु संक्षिप्त वर्णन	उपापन की अनुमानित लागत (राशि रुपये में)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	262 नग स्प्लिट ए. सी., विडों ए.सी. इनवर्टर ए.सी. एवं कैसेट ए.सी का वार्षिक रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य की दर संविदा (संलग्न:- परिशिष्ट पार्ट बी)	3.00 लाख	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत *	200/- रु.0 *	14.08.2024 दोपहर 12:00 बजे

संलग्न- बोली की शर्तें, वांछित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रपत्र।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
3. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
5. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
6. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
7. संचित निरीक्षक (प्रशासन/क्वार्टर मास्टर) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा [sppp](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
9. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

“तकनीकी बिड”

(बोली प्रपत्र – अ तकनीकी बीड)

- बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक: दिनांक
- 1.....के लिए बोली
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)
- 2.बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म:-.....
का नाम, डाक का पूर्ण पता:-.....
दूरभाष फैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडी:-.....
3. बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :-निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना संख्या-.....
दिनांकजो.....
(समाचार पत्र का नाम) दिनांक..... में प्रकाशित हुई है।
5. निविदाएं तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी।
तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
6. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
7. बैंक ड्रा / बैंकर्स चैक सं०..... दिनांक द्वारा राशि रुपये 2
प्रतिशत – बयाना राशि के पेटे जमा करवाई गई।
8. इसके साथ जी.एस.टी. प्रमाण-प, संलग्न करें।
9. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
10. निविदा शर्तें मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में 262 नग स्लिट ए.सी, विंडो ए.सी, इनवर्टर ए.सी एवं कैसेट ए.सी के वार्षिक रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य की संविदा हेतु मोहरबन्द बोलियाँ के लिए बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तें :-

1. इच्छुक निविदादाता निविदा दिनांक 12.08.2024 को 01:00 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा तकनीकी बिड उसी दिन 04:00 बजे खोली जायेगी।
2. इच्छुक निविदादाता निविदत्त कार्य में यदि योग्यता रखता है तो एक ही आवेदन पत्र पर समस्त कैटेगरियों के लिए आवेदन कर सकता है या पृथक पृथक किसी भी कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकता है तदनुसार वित्तीय प्रस्तावों में अपनी दरें अंकित कर सकता है।
3. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रुपये 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
4. बोलीदाता के पास 3 वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-22 व 2022-23 में राशि रुपये 25 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए। (गत तीन वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-22 व 2022-23 के सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता/लाम-हानि खाता/बैलेन्स सीट संलग्न करें अथवा सनदी लेखाकार द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण-पत्र संलग्न करें जिस पर UDIN नम्बर अंकित हो।) उक्त के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।(पैन कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)
6. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। (GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)
7. बोली के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D (बोली के साथ संलग्न A, B, D, E एवं बोली प्रपत्र अ और ब अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)
8. बोलीदाता को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का मूल विनिर्माता/प्राधिकृत विक्रेता/डीलर होना आवश्यक है तथा निविदादाता/बोलीदाता उस निविदत्त वस्तु में कार्य करने वाली फर्म होनी चाहिए। प्राधिकृत डीलर होने का स्व हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र अपेक्षित है।
9. बोलीदाता को उक्त कार्य का वित्त वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) का कार्यानुभव होना आवश्यक है। अनुभव की पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि में सरकारी विभाग/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण/संस्थान द्वारा जारी कार्यादेश अथवा कार्यानुभव प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. कय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

11. जो निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :- उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने एवं हस्ताक्षरित बोली प्रपत्र मय सलंगनक प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियाँ खोली जावेगी।



सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

A. बोलीदाता को निर्देश :-

1. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से एकल पद्धति (द्वि-भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओ की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड और वित्तीय बिड को अलग-अलग लिफाफों में रखा जायेगा यदि वित्तीय बिड को खुले रूप से तकनीकी बिड के साथ रखा गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी। अतः दोनो बिड को अलग-अलग लिफाफों में रखा जाकर दोनो बिडों को एक तिसरे लिफाफें में रखा जाना चाहिए। तथा तकनीकी बिड और वित्तीय बिड के लिफाफे पर निविदा कार्य का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को नगद/ई-ग्रास/चालान/डी.डी./बैंकस चैक/FDR /बैंक गारन्टी(जो निदेशक, RPA, के नाम से हो) के माध्यम से जमा करवा सकते है। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।
3. निविदादाता को तकनीकी दस्तावेजों के साथ अद्यतन GSTR 3B प्रस्तुत करनी होगी इनके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
5. ए.सी कार्य में दक्ष मैकेनिक जिनकी योग्यता आई टी.आई से इस कार्य के लिए डिप्लोमा धारी हो की सूची फर्म द्वारा प्रस्तुत की जावेगी इसके अभाव मे टेन्डर निरस्त कर दिया जावेगा।
6. सफल फर्म को ए.सी की खराबी को ठीक करने की सूचना अकादमी प्रशासन के दिये जाने के 2 घंटे के अन्तराल में ठीक करनी होगी इसके अभाव में 500 रुपये की प्रतिघंटे की दर से पैनल्टी ली जावेगी।
7. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नही होगी।
8. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
9. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत की 5% (राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु आपूर्ति आदेश की 1%) की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विरुद्ध

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर


www.rpa.rajasthan.gov.in

नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। समस्त संविदाजात दायित्व संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संवेदक को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10. बोलीदाता को इस बोली प्रपत्र के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
11. दरें संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा अवधि में संवेदक एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
13. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
14. अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री/सामान की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 का नियम 29(2-ज) प्रभावी होगा।

B. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्तें :-

1. उपाप्त की जाने वाली सामग्री हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों में अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें में अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
2. आदेशित माल/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी तिथि से 03 दिवस में नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।
3. अनुभवी कार्मिक जिनकों निविदा कार्य का अनुभव हो का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तथा कार्य स्थल पर भेजा जायेगा।
4. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से उपापन कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी।



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

5. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।
6. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य-सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
7. अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामग्री को सही स्थिति में अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन में हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी।
8. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पर आरटीटीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 एवं जीएफ एण्ड आर के प्रावधान लागू होंगे।
9. निविदा कर्ता निविदा के शर्त/प्रावधान के सदर्थ में किस भी संशय का निराकरण निविदा के अन्तिम दिनांक से पूर्व लिखित में करवा सकेगा। तथा कोई भी इच्छुक निविदादाता किसी भी संशय के लिए निम्न लिखित अधिकारियों से कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकेगा।

ए. सहायक निदेशक (प्रशासन)

बी. लेखाधिकारी,

C मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम बोलीदाताओं की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड में सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओं द्वारा "वित्तीय प्रस्ताव" में प्रस्तुत दरों के आधार पर समग्र रूप से न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
3. "वित्तीय प्रस्ताव" में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी में कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

4. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावे, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
5. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।
6. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जायेगा।
7. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
8. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन **Portal** पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
9. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
10. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2013 की धारा-38 के तहत कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर** के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है(अनुलग्नक-‘स’)। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/- एवं राशि रूपये 10000/- निर्धारित है, जो अपीलकर्ता को अपील के साथ बैंक

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी।
अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।

11. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
12. कार्य सम्पादन के दौरान संवेदक द्वारा कार्य हेतु उपलब्ध कराए गए किसी श्रमिक को कोई शारीरिक अथवा मानसिक हानि होती है, जो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अकादमी की किसी परिसम्पत्ति की हानि उक्त कार्य के कारण होती है तो उक्त नुकसान/हानि की वसूली संवेदक से की जा सकेगी।
13. अनुबन्धकर्ता द्वारा विद्युत कार्य हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले श्रमिक को उक्त कार्य में दक्ष होना चाहिए एवं उक्त श्रमिकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की पालना की जानी चाहिए।
14. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता:—.....

गोदाम का पता:—.....

मोबाइल/दूरभाष:—.....



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

परिशिष्ट "द"

पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) (जो ISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-4000 प्रमाण पत्र धारक हो) थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं ई तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता
टेलीफोन नं.

परिशिष्ट— "ई"

100 रुपये का शपथ पत्र

मैं.

यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अद्वैसरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/ निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर
पूर्ण पता
टेलीफोन नं.

52 1 A 11

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

“वित्तीय प्रस्ताव”

पार्ट-A

(बोली प्रपत्र -ब प्राईस बीड)

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक:

दिनांक

1.....के लिए बोली

(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म:-.....

का नाम, डाक का पूर्ण पता:-.....

दूरभाष फ़ैक्स नम्बर एवं ईमेल आईडी:-.....

3 बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :-निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

4 सन्दर्भ बोली आमंत्रण सूचना संख्या-.....

दिनांकजो.....

(समाचार पत्र का नाम) दिनांक..... में प्रकाशित हुई है।

नोट:- (i) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे:-‘टैक्स पेड, कर सहित ‘एज एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

5 बोली भरने की प्रक्रिया:-

बोली प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना निविदा की शर्तों में उल्लेखित कर दी गई है। तदनुरूप ही बोली प्रस्तुत की जावे अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

“वित्तीय प्रस्ताव”

पार्ट-B

क्र.सं.	आईटम नाम	दर	कर	कुल लागत
1	A.C SERVICE			
2	GAS CHARGE			
3	P.C.B. REPAIR			
4	STABILIZER REPAIR			
5	50 MFD CAPACITOR			
6	OUTDOOR MOTOR			
7	COMPRESSOR 1.5 TON			
8	FAN BLADE			
9	INVERTOR PCB REPAIR			
10	INVERTOR GAS CHARGE			
11	INVERTOR COMPRESSOR			
12	COPPER PIPING			
13	OUTDOOR STAND			
14	A.C FITTING			
15	COMPRESSOR 2 TON			
16	WIRING			
17	CASSETTE A.C PCB REPAIR			
18	CASSETTE A.C GAS CHARGE			
19	CASSETTE A.C OUTDOOR MOTOR			
20	CORE CUTTING (WALL HOLE)			
21	CONDENSER (OUTDOOR)			
22	STABILIZER (NEW)			
23	CONNECTOR (1 PHS)			
24	CONNECTOR (3 PHS)			
25	INDOOR MOTOR			
26	INDOOR UNIT (NEW)			
27	CASSETTE A.C (ROTARY 2.0 TN. COMPRESSOR)			
28	CASSETTE A.C (ROTARY 4.5 TN. COMPRESSOR)			
29	CASSETTE A.C (ROTARY 5.0 TN. COMPRESSOR)			
30	CASSETTE A.C (2.0 TN. CONTACTOR)			
31	CASSETTE A.C (4.5 TN. CONTACTOR)			
32	CASSETTE A.C (OUT FAN BLADE)			



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

नोट :- जीएसटी (यदि लागू हो) नियमानुसार पृथक् से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

मोबाइल / दूरभाष:-.....



Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –


- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to the Notice Inviting Bid No..... DatedI/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

HS

राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर

www.rpa.rajasthan.gov.in

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant :
 - (ii) Official address, if any :
 - (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal

.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer :.....
.....

Place

Date

Appellants Signature

